

राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बंध में.....के रिक्त पदों पर  
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम : .....
2. पिता का नाम : .....
3. जन्मतिथि : .....
4. शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक अर्हताएँ : .....
5. मूल विभाग का नाम : .....
6. सेवानिवृति से पूर्व धारित पद एवं पदस्थापन स्थान : .....
7. अनुभव : .....
8. सेवानिवृति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड + ग्रेड पे) : .....
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओं की प्रति संलग्न करें) : .....
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति के समय) : .....
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) : .....
12. संविदा पुनर्नियुक्ति पर पदस्थान हेतु 3 इच्छित स्थान : .....

सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकारी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों को लगाते के लिये राज्य सरकार के परिपत्र सं..... में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरकारी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत हैं आरै वचन देता हैं।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी के  
हस्ताक्षर

## विभागाध्यक्ष/अंतिम कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं आरै श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी..... जो सेवानिवृति से पूर्व..... पद पर विभाग में कार्य कर रहे/रही थी, के सम्बंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिये उसकी अम्भर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती.....रूपये..... मासिक मूल वेतन (रनिंग पे ब्रेंड वेतन, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/रही थी और कि श्री/श्रीमती.....की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया/गयी हैं और श्री/श्रीमती.....के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं हैं तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष/अंतिम कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
मय पद मोहर

## सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पारित किया जाने वाला करार

सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाएँ लेने के लिये कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ....  
दिनांक.....

.....द्वारा जारी मागादर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिये सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रथम पक्षकार कहा गया है और श्री/ श्रीमती.....पुत्र/पत्नी.....

निवासी.....(जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है।) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है।

1. संविदा बचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिये किसी प्रशासनिक, अर्द्ध-न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।

2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिये नहीं गिना जायेगा।

3. संविदात्मक बचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिये या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।

4. बचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिये विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक बचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/ श्रीमती.....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक बचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्ते के अध्यधीन प्रतिमास.....रूपये पर नियत की गई हैं। समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृति के समय (रनिंग पे बेप्ड, ग्रेड पे) में मूल पेशन राशि कम करने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर करेगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तदनुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिये प्राधिकृत होगा।

6. संविदात्मक बचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।

8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक परिलक्षियों का 1/30वां भाग काटा जायेगा।

9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिये निर्दिष्ट किया जा सकता है।

10. ऐसे व्यक्तियों का यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विधमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में हैं और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हैं।

12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

### द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षी

- 1.
- 2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
साक्षी

- 1.
- 2.